Public Notice

In compliance to the provision under section 61, 62 and 86 (1)(a) of the Electricity Act, 2003 read with (Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi-Year Tariff Principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulation, 2021, M/s Jindal Steel and Power Ltd. (JSPL) has filed a petition before Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC), for approval of ARR for FY 2025-26, retail tariff for FY 2025-26 and revised estimate of FY 2024-25 along with true-up of the year FY 2023-24 for its licensed distribution business. This petition has been registered as 02 of 2025.

In the petition, M/s JSPL has requested the Commission to approve true-up of ARR of Rs. 840.22 Crs for FY 2023-24, revised estimated of Rs. 743.22 Crs for FY 2024-25 and estimated ARR of Rs. 806.99 Crs for FY 2025-26.

JSPL has made following prayer:-

(i) to fix suitable cost reflective tariff for consumers of JSPL for recovery of full ARR along with revenue gap and carrying cost for previous period,

(ii) to approve the above ACoS of Rs.5.54/unit as a single part tariff,

(iii) to allow to grant load factor rebate of 10% to its consumers on energy calculated on entire energy consumption above monthly load factor of 70%,

(iv) to make provision that consumers should ensure to maintain the load factor of 40% throughout the year.

Interested persons may submit objections/suggestions to Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur – 492001 (CG), Email - cserc.sec.cg@nic.in within 21 days of publication of this notice.

Copy of this notice and the petition are also available on the Commission's website www.cserc.gov.in. Hardcopy of the aforesaid petition is available on any working day between 11 AM to 4 PM in the Commission office on payment of Rs 200/-. The copy of the petition may also be obtained by post an additional payment of Rs 50/- towards postal expenses. Notice for hearing on aforesaid petition shall be published by CSERC in the newspaper separately.

M/s Jindal Steel & Power Ltd.
Tamnar, Distt. - Raigarh - 496107

आमसूचना

मेसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड (JSPL) द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के ट्रू–अप, वित्तीय वर्ष 2024–25 के संशोधित अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 के वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं वित्त वर्ष 2025–26 के लिए टैरिफ के निर्धारण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61, 62 एवं 86(1)(ए) सहपठित बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें'' विनियम, 2021, के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की है। यह याचिका, याचिका क्रमांक 02/2025 के रूप में पंजीकृत की गई है।

M/s. JSPL द्वारा उक्त याचिका में वित्तीय वर्ष 2023–24 के ट्रू–अप हेतु रूपये 840.22 करोड़, वित्तीय वर्ष 2024–25 के संशोधित अनुमान हेतु रूपये 743.22 करोड एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 के वार्षिक राजस्व आवश्यकता हेतु रूपये 806.99 करोड को मान्य करने हेतु अनुरोध किया है।

जेएसपीएल ने निम्नलिखित प्रार्थना की है, –

(i) आयोग द्वारा ऐसी टैरिफ निर्धारित की जाए जिससे कि पिछली अवधि के राजस्व अंतर, केयरिंग कॉस्ट सहित पूर्ण एआरआर की वसूली हो जाए,

(ii) विद्युत आपूर्ति की औसत लागत रु. 5.54/यूनिट का सिंगल पार्ट टैरिफ तय किया जाए,

(iii) जेएसपीएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं को 70 प्रतिशत के मासिक लोड फैक्टर से ऊपर की संपूर्ण ऊर्जा खपत पर गणना की गई ऊर्जा पर 10 प्रतिशत की लोड फैक्टर छूट देने का प्रावधान किया जाए,

(iv) आयोग द्वारा यह प्रावधान किया जाए कि उपभोक्ताओं को पूरे वर्ष कम से कम 40 प्रतिशत का लोड फैक्टर बनाए रखना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त याचिका पर सुझाव/आपत्ति, इस आम सूचना के जारी होने के 21 दिवस के भीतर सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर–492001, ईमेलः cserc.sec.cg@nic.in के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

इस आम सूचना एवं याचिका की प्रति आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in पर भी उपलब्ध है। उपरोक्त याचिका की प्रति मेसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड के कारपोरेट कार्यालय एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन सिंचाई कालोनी शांति नगर रायपुर 492001 के कार्यालय में उपलब्ध है। याचिका की मुद्रित प्रति कार्यालयीन दिवसों में रूपये 200/– का भुगतान कर पूर्वान्ह 11:00 से सांयः 4:00 के बीच प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति रूपये 50/– (डाक व्यय) का अतिरिक्त भुगतान कर डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। सुनवाई हेतु स्थल एवं दिनांक की सूचना आयोग द्वारा पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित की जावेगी ।

मेसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड,
तमनार, जिला– रायगढ़ –496107